न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 39/2024 (राजसमन्द डिक्री)

1. पदमसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत, निवासी सालमपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत, निवासी सालमपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. रामसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत, निवासी सालमपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. दीपसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत, निवासी सालमपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. अरूण कुमार पिता रामसेवक मिश्रा, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. रामसिंह पिता तखतसिंह राजपूत, निवासी सालमपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. उप पंजीयक, आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
7. उप पंजीयक, सरदारगढ़, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
8. पटवारी, पटवार हल्का घोसुण्डी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
9. श्रीमती नीट कुंवर पत्नी सुरेन्द्रसिंह शक्तावत, निवासी कांति, तहसील कोटडी, जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. भैरूलाल पिता हरीराम जाट, निवासी डूंगाखेड़ा, तहसील सरदारगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
सत्यमेव जयते

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी आमेट दि. 27.09.23, 04.10.23 [illegible] 87/2018

———/———

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:10 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधि.
उदयपुर (राज.)

उपस्थित :– 1– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री अजयसिंह हाड़ा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2

---::---

निर्णय **दिनांक 24–12–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के संयुक्त स्वामित्व की आराजी नंबर ग्राम सालमपुरा, तहसील आमेट में स्थित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क–खाता संख्या नया 100 आराजी नंबर 392 किता 1 रकबा 0.2100 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 1/3 हिस्सा, वादीगण का 417/2100 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 283/2100 वां हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

ख–खाता संख्या नया 48 आराजी नंबर 16 किता 1 रकबा 0.4100 हैक्टर में वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

ग–खाता संख्या नया 49 आराजी नंबर 123, 124, 125 कुल किता 3 रकबा 1.0700 हैक्टर में वादीगण का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

घ–खाता संख्या नया 97 आराजी नंबर 19, 20 किता 2 रकबा 0.3400 हैक्टर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 8/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

ड–खाता संख्या नया 98 आराजी नंबर 4, 6, 126, 304, 306, 308 कुल किता 6 रकबा 0.6600 हैक्टर में वादीगण का 5/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 5/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 2/12 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (सत्यमेव जयते)

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:10 IST
Reason: SelfAttested

च–खाता संख्या नया 99 आराजी नंबर 370, 371 किता 2 रकबा 0.3400 हैक्टर में वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

उक्त आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी के मध्य वर्षो पूर्व आपसी समझाईस से विभाजन हो चुका है एवं इसी अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मन में बदनियती आ जाने से लड़ाई–झगड़ा करते हैं तथा अजनवी व्यक्तियों को विक्रय करने की धमकी देते हैं। अतः विवादित आराजियात का पक्षकार के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09–07–2015 को सहमति के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 17–01–2018 को अंतिम डिक्री जारी की, जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के समक्ष अपील पेश की, जो भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा दिनांक 30–08–2018 को स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया गया।

3. न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के रिमाण्ड आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 27–09–2023/04–10–2023 को अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 27–08–2024 को प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अजयसिंह हाडा उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता [illegible] शर्मा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड [illegible] कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:10 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व दिनांक 27–09–2023 को पेशी बदली गयी व दिनांक 04–10–2023 की पेशी नियत की गयी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका के विपरीत दिनांक 27–09–2023 को निर्णय पारित कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं हो सकी। हाल ही में रेस्पोडेन्ट मौके पर आये और अपीलान्ट को उसके कब्जेशुदा भूमि से बेदखल करने लगे तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

6. हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

7. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि बंटवारा प्रस्ताव पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः विभाजन योजना हेतु तहसीलदार को प्रस्ताव भिजवाया गया, जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–08–2023 को नया विभाजन प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया गया। विभाजन प्रस्ताव पेश होने के बाद उक्त प्रकरण में दिनांक 12–09–2023 को पेशी नियत की गयी, जिस दिन बहस हेतु समय लिये जाने के कारण दिनांक 27–09–2023 की पेशी नियत की गयी। दिनांक 27–09–2023 को प्रकरण बहस हेतु समय चाहने के कारण पेशी तब्दील की जाकर दिनांक 04–10–2023 को अंतिम बहस हेतु नियत की गयी, दिनांक 27–09–2023 को किसी प्रकार की बहस ही नहीं की गयी, फिर भी बिना बहस सुने अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27–09–2023 को आदेशिका पर निर्णय पारित कर दिया। दिनांक 04–10–2023 को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ, परन्तु पत्रावली नहीं मिलने से प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई, किन्तु बाद में दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:10 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधि...
उदयपुर (राज.)

04–10–2023 को अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा बंटवारा नियमों के तहत विभाजन हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

8. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलान्ट द्वारा सहमति दी गयी है। दुबारा दिनांक 04–10–2023 को सहमति दी गयी, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

9. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। बंटवारा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है। बंटवारे में सभी आराजियात में सभी पक्षकारों को हिस्सा दे दिया गया है, खाते अलग–अलग नहीं किये गये हैं। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

10. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–09–2003 व डिक्री दिनांक 04–10–2023 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करें तथा प्रत्येक आराजियात का विभाजन नियम 18 से 21 की पालना में करते हुए साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–01–2026 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 24–12–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:10 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सत्यमेव जयते, उदयपुर